"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 12, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-4/2010/1/एक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री/भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष को इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-8/2001/1/एक दिनांक 29 अक्टूबर 2004 द्वारा दी गई सुविधाओं से संबंधित आदेश में केवल पूर्व मुख्यमंत्री के लिए निम्नानुसार संशोधन करता है :—

बिजली

आवंटित शासकीय आवास में रु. 3,000/- (रु. तीन हजार) प्रतिमाह में वृद्धि करते हुए रु. 10,000/- (रु. दस हजार) प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली की पात्रता होगी.

2. यह संशोधन आदेश, जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

3. भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष को पूर्ववत सुविधा उपलब्ध रहेगी.

4. उक्त सुविधाओं पर होने वाला व्यय मांग संख्या 1-2013 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

5. इस पर वित्त विभाग ने यू. ओ. क्रमांक 502/सी. एन. 3173/बजट-5/वित्त/चार/2010 दिनांक 30-10-2010 द्वारा सहमति दी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक 1139/1574/2010/1-6.—राज्य शासन द्वारा डॉ. नवीनचंद पंत (भा.व.से.-1981) सदस्य सचिव, राज्य योजना मण्डल की सेवाएं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से वापस लेते हुए वन विभाग को लौटाई जाती है.

2. श्री पी. सी. मिश्रा (भा.व.से.-1985) मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की सेवाएं वन विभाग से लेते हुए, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को उनकी पदस्थापना राज्य योजना में सदस्य सचिव के पद पर करने हेतु सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक 1202/884/2010/1-8/स्था.—श्री याकुब खेस्स, उप सचिव, कृषि विभाग को दिनांक 18-10-2010 से 23-10-2010 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 16 एवं 17-10-2010 तथा 24-10-2010 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री याकुब खेस्स को उप-सचिव, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री याकुब खेस्स अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्रमांक 1204/906/2010/1-8/स्था.—श्री एन. के. साकी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (संविदा), सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 6-11-2010 से 16-11-2010 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 5 एवं 17-11-2010 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. साकी को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. साकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. डी. चोरड़े, अवर सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-13/2010/स्था./चार.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पत्र क्रमांक DAD. BPL. No. 649/05.01.37/2010-11 दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 द्वारा दी गई स्वीकृति एवं उसके निर्धारित शर्तों के अध्याधीन भारतीय स्टेट बैंक कलेक्टरेट शाखा (कोड नं. 12137) जिला कांकेर को शासकीय संव्यवहार (केवल शासकीय जमा) हेतु अधिकृत करता है.

No. F-1-13/2010/ESTT./IV.—The State Government, in pursuance of approval given and subject to the condition contained in the letter No. DAD (BPL) No. 649/05.01.37/2010-11 dated 20 October, 2010 of Reserve Bank of India, Bhopal do hereby authorises State Bank of India, Collectorate Branch (Code No. 12137), Distt. Kanker to conduct Government Business (Deposit of Govt. Receipts only).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश पाण्डेय, संयुक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्रमांक 3332/2317/2010/12.—श्री एस. के. त्रिवेदी, संचालक (प्रभारी) भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ रायपुर को दिनांक 22-11-2010 से 10-12-2010 तक कुल 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. त्रिवेदी, संचालक (प्रभारी) भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. त्रिवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो संचालक (प्रभारी) भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्रमांक 3334/2317/2010/12.—राज्य शासन द्वारा श्री एस. के. त्रिवेदी, संचालक (प्रभारी) भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ रायपुर के अर्जित अवकाश अवधि में श्री व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ संचालक (प्रभारी) भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. बेहार, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्रमांक/एफ 7-34/2009/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग के सूचना क्रमांक समसंख्यक दिनांक 24-08-2009 द्वारा भिलाई दुर्ग विकास योजना भाग-2 में लोक प्रयोजनार्थ (सूफी सत्संग निजी न्यास द्वारा आश्रम हेतु) निम्नानुसार भूमि के उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

भिलाई दुर्ग विकास योजना भाग-2 के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टर में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पुलगांव	273/2	2.946	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
		रकबा	**2.946 हेक्टर**		

2. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

3. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा भिलाई दुर्ग विकास योजना भाग-2 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण भिलाई दुर्ग विकास योजना भाग-2 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक/एफ 15-10/15-2/2006/2010/2179 रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2010

राज्य के कृषकों को सहकारी कृषि ऋणों (अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन) पर ब्याज अनुदान नियम

प्रस्तावना :—

राज्य के कृषकों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा सहकारी बैंकों से संबद्ध कृषकों को कृषि ऋण एवं गौ-पालक कृषक, मत्स्य पालक कृषक एवं उद्यानिकी हेतु दिये जाने वाले ऋणों को राज्य शासन द्वारा दिनांक 01-04-2010 से 3% की ब्याज दर पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.

बैंक द्वारा आंकलित प्राईम लेंडिंग रेट एवं पंजीयक द्वारा निर्धारित बैंक/संस्था के मार्जिन के आधार पर कृषकों को प्रभारित ब्याज दर यदि वर्ष 2010-11 एवं पश्चात्‌वर्ती वर्षों में 3% से अधिक होगी तो अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में शासन द्वारा की जावेगी. इसके क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :—**

(एक) यह नियम "कृषकों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2010" कहलाएगा.

(दो) यह नियम 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावशील होगा.

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक होगा.

2. **परिभाषाएं :—**

(एक) **कृषक**- "कृषक" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो भूस्वामी, मौरूसी कृषक, शासकीय पट्टेदार या सेवा भूमि के रूप में कृषि भूमि धारण करता हो या अन्य किसी व्यक्ति की कृषि भूमि पर खेती करता हो.

(दो) **सीमांत कृषक**- "सीमांत कृषक" से अभिप्राय ऐसे कृषक से है जो अधिकतम 2.5 एकड़ तक कृषि भूमि धारण करता हो.

(तीन) **लघु कृषक**- "लघु कृषक" से अभिप्राय ऐसे कृषक से है जो 2.5 एकड़ से अधिक तथा 5 एकड़ तक कृषि भूमि धारण करता हो.

(चार) **बैंक**- "बैंक" का अभिप्राय राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से है. जिसे आगे क्रमशः शीर्ष बैंक, राज्य विकास बैंक, जिला बैंक, जिला विकास बैंक के नाम से उल्लेखित किया गया है.

(पांच) **संस्था**- "संस्था" का अभिप्राय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/कृषक सेवा सहकारी संस्था/आदिमजाति बहुउद्देशीय सहकारी संस्था से है.

(छः) **ऋण**- "ऋण" का अभिप्राय कृषक सदस्यों को नियम 2 (चार) में वर्णित बैंक एवं नियम 2 (पांच) में वर्णित संस्थाओं द्वारा वितरित कृषि प्रयोजन हेतु अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण तथा परंपरागत गौ-पालन (डेयरी), मत्स्यपालन एवं उद्यानिकी से संबंधित ऋण से है.

(सात) **कृषि प्रयोजन**- "कृषि प्रयोजन" का अभिप्राय कृषि एवं कृषि संबद्ध प्रयोजनों संबंधी उन सभी कार्यों से है, जिनके लिए बैंक/संस्था द्वारा अल्पकालीन, मध्यमकालीन/दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है. एवं जिसमें सामान्य कृषि कार्य के लिए वितरित ऋण अन्य कृषि आदान एवं उपकरण, सिंचाई साधन, कृषि एवं कृषि संबद्ध उत्पादनों के विपणन सम्मिलित है. परन्तु इसमें आवास निर्माण हेतु ऋण, ट्रेक्टर, स्वचालित थ्रेशर, स्वचालित हार्वेस्टर एवं अन्य ऐसे स्वचालित उपकरण/वाहन जिनका पृथक से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा पंजीकरण किया जाता है, के लिये लिया गया ऋण सम्मिलित नहीं होंगे.

(आठ) **परंपरागत गौ-पालक**- परंपरागत गौ-पालक का अभिप्राय "ऐसे लघु एवं सीमांत कृषक, जो पारंपरिक गौ-पालन विधि एवं रीति से गौ-पालन कर अपना जीविकोपार्जन करते हो, तथा गौ-पालन हेतु राशि रुपये 1.00 लाख (रु. एक लाख मात्र) की सीमा तक का ऋण चाहता हो."

(नौ) **मत्स्य पालक कृषक**- मत्स्य पालक कृषक का अभिप्राय "ऐसे लघु एवं सीमांत कृषक जो स्वयं के तालाब में, या स्वयं की भूमि पर नवीन तालाब निर्माण करवा कर या पंचायतों/निजी स्वामित्व के तालाबों को पट्टे पर लेकर मत्स्य पालन कर रहा हो या करना चाहता हो, तथा राशि रुपये 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) की सीमा तक का ऋण चाहता हो."

(दस) **उद्यानिकी कृषक** (हार्टिकल्चरिस्ट) : उद्यानिकी कृषक का अभिप्राय "ऐसे लघु एवं सीमांत कृषक जो फल, फूल, सब्जी, मशरूम तथा औषधीय एवं सुगंधित फसलों की काश्त करता हो, तथा जो 1.00 लाख (रु. एक लाख) की सीमा तक ऋण चाहता हो."

(ग्यारह) **पंजीयक**- "पंजीयक" का अभिप्राय सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो नियम 2 (चार) में वर्णित बैंक एवं नियम 2 (पांच) में वर्णित संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो.

(बारह) **प्राइम लेंडिंग रेट**- "प्राईम लेंडिंग रेट" से अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कास्ट ऑफ फंड, रिस्क कास्ट, ट्रान्जेक्शन कॉस्ट एवं बैंक के मार्जिन के आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित उधार देने की न्यूनतम दर से है.

3. **पात्रता :—**

(एक) ब्याज अनुदान की पात्रता नियम 2 (चार) में वर्णित बैंकों एवं नियम 2 (पांच) में वर्णित संस्था को होगी.

(दो) ब्याज अनुदान की पात्रता उस ऋण पर होगी जो नियम 2 (सात), (आठ), (नौ) एवं (दस) में वर्णित है.

(तीन) बैंक के प्राइम लेन्डिन्ग रेट में बैंक का स्वयं का मार्जिन एवं संस्था के मार्जिन को जोड़ने के बाद, निर्धारित ब्याज दर यदि 3% से अधिक हो तो ब्याज अनुदान की पात्रता होगी.

(चार) बैंक के प्राइम लेंडिन्ग रेट की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत किया जावेगा.

(पांच) बैंक के प्राइम लेंडिन्ग रेट में परिवर्तन होने पर ब्याज दर का पुन: निर्धारण किया जावेगा.

(छ:) जिला विकास बैंकों के मामले में वित्तदायी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर में राज्य विकास बैंक एवं जिला विकास बैंक का स्वयं का मार्जिन जोड़ने के बाद निर्धारित ब्याज दर यदि 3% से अधिक हो तो ब्याज अनुदान की पात्रता होगी.

(सात) ब्याज अनुदान की पात्रता ऋण वितरण की तिथि से, बैंक/संस्था द्वारा निर्धारित की गई उस ऋण की संपूर्ण अवधि की अंतिम तिथि तक होगी. जिसमें ऋण राशि की सम्पूर्ण समेकित किश्तों (Equated Instalments) के ब्याज प्रभाग की 3% से अधिक ब्याज की अन्तर राशि अग्रिम के रूप में संबंधित बैंक/संस्था को उपलब्ध कराई जावेगी.

4. **ब्याज अनुदान का आंकलन :—**

(एक) कृषि प्रयोजन, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं उद्यानिकी ऋण में यदि प्रशासकीय विभाग/केन्द्र शासन का कोई अनुदान प्राप्त हो तो अनुदान राशि कृषक की ऋण राशि में समायोजन पश्चात् शेष ऋण पर ब्याज अनुदान का निर्धारण किया जावेगा.

(दो) बैंक द्वारा आंकलित प्राईम लेंडिंग रेट एवं पंजीयक द्वारा बैंक एवं संस्था के लिये निर्धारित मार्जिन के आधार तथा जिला विकास बैंकों के मामले में वित्तदायी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर में राज्य विकास बैंक एवं जिला विकास बैंक का स्वयं का मार्जिन जोड़ने के बाद कृषक स्तर पर ब्याज दर का निर्धारण करने के फलस्वरूप ब्याज दर 3% वार्षिक से अधिक होने पर अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में की जावेगी. बैंक/संस्था के लिए ब्याज अनुदान आंकलन निम्नानुसार किया जावेगा :—

ब्याज अनुदान आंकलन का सूत्र निम्नानुसार होगा :—

(अ) **संस्था के लिए :—** बैंक का प्राईम लेंडिंग रेट + पंजीयक के निर्देशानुसार निर्धारिक बैंक का मार्जिन + पंजीयक के निर्देशानुसार निर्धारित संस्था का मार्जिन-3 प्रतिशत=ब्याज अनुदान.

(ब) **जिला विकास बैंकों के लिए :—** वित्तदायी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर + पंजीयक के निर्देशानुसार निर्धारित बैंकों का मार्जिन - 3 प्रतिशत=ब्याज अनुदान.

इस प्रकार कृषकों पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर में 3% ब्याज की राशि घटाने पर शेष राशि ब्याज अनुदान के रूप में पात्र होगी.

5. **आहरण एवं भुगतान की प्रक्रिया :—**

(एक) ब्याज अनुदान का आंकलन कर दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:—

(क) **संस्था के लिए :—** संस्था, नियम 3 की पात्रता अनुसार एवं नियम 4 के अनुसार ब्याज अनुदान का आंकलन कर पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दावा संबंधित जिला सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक को प्रस्तुत करेगी. बैंक प्रस्तुत दावों का अंकेक्षक से अंकेक्षण कराकर जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक से स्वीकृति प्राप्त करेगा.

(ख) **जिला विकास बैंकों के लिए :—** बैंक, नियम 3 की पात्रता अनुसार एवं नियम 4 के अनुसार ब्याज अनुदान का आंकलन कर पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दावा का अंकेक्षक से अंकेक्षण कराकर जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक से स्वीकृति प्राप्त करेगा.

(दो) इस नियम के प्रभावशील होने के वर्ष में, राज्य शासन की ओर से बैंकों को जो ब्याज अनुदान दिया जाना है वर्ष के प्रारंभ से ही शासन पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, एवं राज्य सहकारी बैंक एवं राज्य विकास बैंक के माध्यम से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला विकास बैंकों को उपलब्ध करा दिया जाएगा. यह अनुदान गत वर्षों की ऋण वितरण के आधार पर गणना की जाकर उपलब्ध कराया जाएगा. संस्था एवं जिला विकास बैंक द्वारा ब्याज अनुदान का दावा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के 30 दिवस के अंदर किया जावेगा. बैंक/संस्था द्वारा प्रस्तुत दावा पत्रक का, जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा स्वीकृति उपरांत राशि का भुगतान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा किया जावेगा. जिला विकास बैंकों के मामले में, उनके द्वारा प्रस्तुत दावा पत्रक का जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा स्वीकृति उपरांत राशि का भुगतान राज्य विकास बैंक द्वारा किया जावेगा.

(तीन) उपरोक्त अग्रिम राशि में से ब्याज अनुदान प्रत्येक तिमाही में स्वीकृत दावा के आधार पर समायोजित किया जावेगा. अग्रिम राशि के समायोजन उपरांत स्वीकृत दावा राशि शेष रहने पर शासन से पुनः राशि की मांग की जावेगी.

(चार) इन नियमों का उल्लंघन किये जाने पर ब्याज अनुदान रोकने/स्थगित करने का अधिकार पंजीयक/शासन को होगा.

(पांच) ब्याज अनुदान के लिए आवश्यक बजट प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा.

6. **उपयोगिता प्रमाण पत्र :—** ब्याज अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से तथा जिला विकास बैंक द्वारा राज्य विकास बैंक के माध्यम से पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा.

7. **विविध :—**

(एक) राज्य शासन/पंजीयक को इस नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा.

(दो) इस नियम में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. सिंह, अवर सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-1/2002/20.—छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड अधिनियम 1998 (क्र. 31 सन् 1998) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

1. ये नियम छ. ग. मदरसा बोर्ड अध्यक्ष तथा सदस्य (पदावधि तथा सेवा शर्तें) नियम, 2009 कहलायेंगे.

2. ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड अधिनियम, 1998,

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष,

(ग) "सदस्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नाम निर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई सदस्य,

(घ) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड,

(ङ) "पदावधि" से अभिप्रेत है, अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद की अवधि जैसा कि राज्य सरकार विहित करें,

(च) "सेवा शर्तें" से अभिप्रेत है, अध्यक्ष अथवा सदस्य की सेवा की शर्तें जैसा कि राज्य सरकार विहित करें,

(छ) "वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधा" में सम्मिलित है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार, कर्मचारी को प्राप्त वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं,

(ज) "पद" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य.

3. **पदावधि :—** अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड अधिनियम 1998 (क्र. 31 सन् 1998) की धारा 6 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की होगी. अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक भार-साधक मंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे.

4. **सेवा की शर्तें :—** अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त अध्यक्ष एवं धारा 6 की उपधारा 1 के अंतर्गत नियुक्त-नाम निर्दिष्ट सदस्य छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कर्तव्य निर्वहन के लिये उत्तरदायी होंगे :—

(क) अध्यक्ष अथवा सदस्य जो किसी शासकीय संस्था का पद धारण न करते हों, अधिनियम में प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होंगे.

(ख) बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेगा. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा.

(ग) तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थिति रहने पर अध्यक्ष/सदस्य को राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकेगा.

(घ) अध्यक्ष/सदस्य के लिए शासन के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

(ङ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध पाये जाने पर अध्यक्ष/सदस्य को पद से हटाया जा सकेगा.

(च) अध्यक्ष/सदस्य को भ्रष्टाचार अथवा कदाचरण का दोषी पाये जाने पर पद से हटाया जा सकेगा.

(छ) कार्यपालिक समिति, छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें वेतनमान, नियुक्ति एवं प्रतिनियुक्ति तथा समरूप अन्य सभी विषयों पर निर्णय करने एवं आवश्यक नियम तथा विनियम बनाने की एकमात्र शक्ति का प्रयोग करेगी.

5. **वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं :—** अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं वित्त विभाग की सम्मति से विहित किये जायेंगे.

6. छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य/संसद के सदस्य जो इस अधिनियम के अंतर्गत सदस्य होंगे, इन नियमों के अन्तर्गत भत्ता आहरित करने की हकदार नहीं होंगे.

7. यदि अध्यक्ष अथवा सदस्य लाभ का पद धारण करते हों, तो वे किसी एक पद के लिए ही पात्र होंगे.

8. ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो उसे राज्य शासन द्वारा प्रदत्त किये जायें.

9. **निधि :—**

(क) बोर्ड के लिए शासकीय निधि एवं स्थानीय निधि गठित की जायेगी, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान शासन के नाम से संधारित किया जायेगा. अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त निधि तथा राशियां स्थानीय निधि के नाम से संधारित की जाएगी. सभी विषयों पर निर्णय करने एवं निधि के विषय में निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति कार्यपालिक समिति की होगी.

(ख) बोर्ड उतनी धनराशि व्यय कर सकेगा जितनी वह इन नियमों के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने के लिये ठीक समझे और वह धनराशि संदेय व्ययों के रूप में मानी जावेगी तथा लेखाओं की संपरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रति वर्ष कराई जाएगी.

10. **कठिनाईयों को दूर किया जाना :—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई, प्रश्न उदभूत होता है, तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

No. F 10-01/02-20.—In exercise of the powers conferred by the section 12 of the Chhattisgarh Madarsa Board Adhiniyam, 1998 (No. 33 of 1998) State Government hereby makes the following rule, namely :—

RULES

1. **Short Title :—**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Madarsa Board Chairman and Members (Terms and Conditions of Service) Rules 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

2. **Definition :—**In these Rules unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Chhattisgarh Madarsa Board Act, 1998.

(b) "Chairman" means the chairman of the Madarsa Board appointed by the State Government under sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Madarsa Board Adhiniyam.

(c) "Member" means any member appointed by the State Government nominated under Sub-Section 6 of chhattisgarh Madarsa Board Adhiniyam.

(d) "Board" means the Madarsa Board of Chhattisgarh,

(e) "Term of Office" means term of office of Chairman or Member as prescribed by the State Government,

(f) "Conditions of Service" means Conditions of service of Chairman or Member as prescribed by the State Government,

(g) "Salary Allowance and other facility" includes the pay and allowances and other facilities an employee receives, as per the instruction issued from time to time by the Government of Chhattisgarh.

(h) "Post" means Chairman and Member of the Madarsa Board of Chhattisgarh.

3. **Term of Office :—**The Term of Office of Chairman and Members, under the provisions of Sub-Section (2) of Section 6 of Chhattisgarh Madarsa Board Adhiniyam 1998 (No. 31 of 1998) shall be five years from the date of assumption of charge of office. The Ministers in-charge shall be Ex-officio Chairman till the appointment of chairman

4. **Conditions of Service :—** The Chairman appointed under sub-clause (1) of Section 5 and the Member appointed/nominated under sub-section (1) of Section 6 of the Adhiniyam shall be responsible for the discharge of duties under the provisions of the Chhattisgarh Madarsa Board Adhiniyam :—

(a) Chairman or Member not holding post of any Government Institution shall be responsible for the executive of the duties conferred under the Adhiniyam.

(b) Chairman shall preside Board's meeting. In the absence of the Chairman the senior member shall preside over the metting.

(c) Chairman/Member can be removed from office by the State Govt. if he is absent meeting for three consective period,

(d) It shall be obligatory for the Chairman/Member to follow the direction of the Government,

(e) The Chairman/Member shall be removed from office if he has been convicted of an offence in criminal case by any competent court,

(f) The Chairman/Member shall be removed from office if he has been found guilty of corruption or misconduct.

(g) The Executive Committee shall exercise sole power to take decisions and to make necessary rules and regulations on conditions of service, pay scale, appointment and deputation of the officers and workers of Madarsa Board and all other similar subjects.

5. **Salary, Allowances and other facilities :—** Salary, Allowance and other facilities to the Chairman and Members shall be prescribe with the consent of Finance Department.

6. Members of Chhattisgarh State Legislative Assembly/Members of Parliament, who shall be Member under this Adhiniyam, shall not be entitled to draw allowances under these rules.

7. If Chairman or Member holds post of Advantage then they shall be eligibility for any one post.

8. To perform such other tasks which shall be conferred by the State Government.

9. **Fund :—**

(a) Government fund and local fund shall be constituted for Board, Grant received from State Government shall be maintained in the name of Government fund all amounts received from other sources shall be maintained in the name of Local Fund. The executive Committee shall exercise sole power to make decision on all subjects and to take decision on the matter of funds.

(b) Boards shall spend such amount which under these rules it shall consider appropriate for the execution of tasks and that amount shall be deemed as payable every years. Audit of accounts shall be performed chartered Accountant.

10. **Removal of Difficulties :—** If any question arise, in giving effect to these rules, it shall be referred to the State Govt. whose decision there on shall be final.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक 14/अ-82/2009-10/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	मोपका	4.326	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. संभाग क्र. 2, बिलासपुर.	कोनी-मोपका बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 26 जुलाई 2010

क्रमांक 07 क/अविअ/भू-अ./01 अ-82 वर्ष 07-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	साजापाली प. ह. नं. 1	2.80	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	छिर्रापाली जलाशय योजना के दांयीतट नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 26 जुलाई 2010

क्रमांक 09 क/अविअ/भू-अ./02/अ-82 वर्ष 09-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	जम्हारी प. ह. नं. 1	2.29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	छिर्रापाली जलाशय योजना के दांयीतट नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 26 जुलाई 2010

क्रमांक 11 क/अविअ/भू-अ./03/अ-82 वर्ष 09-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	पोटापारा प. ह. नं. 1	0.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	थीपापानी जलाशय के डूब में आई भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 26 जुलाई 2010

क्रमांक 13 क/अविअ/भू-अ./09/अ-82 वर्ष 07-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	बांदूपाली प. ह. नं. 26	0.89	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	बंदलीमाल जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

महासमुन्द, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

क्रमांक 40/क/अविअ/भू. अ./4-अ-82 वर्ष 2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	पंडरीपानी	4.61	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन महासमुन्द.	सिंगबहाल जलाशय योजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

क्रमांक 41/क/अविअ/भू. अ./5-अ-82 वर्ष 2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके साम्ने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	गुठानीपाली	3.01	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन महासमुन्द.	सिंगबहाल जलाशय योजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. .अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	सिवनी	14.102	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत सिवनी माइनर नहर क्रमांक 1, 2 एवं 3 एवं अलनार माइनर नहर क्रमांक 1, 2 एवं 3 के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियन्ता टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	आलवाही	0.79	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	घोटिया-भैंसगांव मार्ग के कि. मी. 1/6 पर नारंगी नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./22/अ-82/वर्ष 09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोवा, प. ह. नं. 109/39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.126 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
755/1	0.182
755/2	0.028
755/3	0.251
764/2	0.016

	(1)	(2)
	765/2	0.040
	765/3	0.090
	766	0.291
	767/2	0.034
	767/6	0.092
	767/7	0.070
	767/8	0.032
योग	11	1.126

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-मोवा में रीजनल साईंस सेन्टर **के पहुंच** मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) महानिदेशक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं **प्रौद्योगिकी** परिषद, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक/10792/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस **बात का** समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में **वर्णित भूमि** की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन **के लिए** आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक **एक सन्** 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया **जाता है** कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मासूल, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.13 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	379	0.22
	386	0.95
	380/1	1.00
	388/1	1.51
	380/2	1.00
	369	0.55
	23	0.34
	21	0.34
	24	0.90
	150	0.26
	149/2	0.36
	142/2	0.18
	182/1	0.46
	196/2	0.26
	193/1	0.97
	201	0.12
	214	1.00
	217/7	0.09
	217/2	0.06
	213	0.30
	220	0.10
	221	0.32
	222/3	0.06
	222/4	0.03
	222/6	0.13
	222/5	0.04
	222/1	0.55
	289/1	0.25
	288	0.13
	287	0.25
	286	0.19
	279/6	0.28
	279/8	0.06
	279/11	0.12
	279/10	0.21
	279/12	0.02
	280	0.28
	281	0.03
	367	0.21
योग	39	14.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मासूल व्यपवर्तन के डूबान एवं नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक/10793/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बुचाटोला, प. ह. नं. 48
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.73 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	788/1	1.72
	788/2	0.25
	790	0.58
	792	1.00
	803/3	0.21
	803/4	0.03
	803/2	0.12
	805/3	0.35
	799	0.47
योग	9	4.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मासूल व्यपवर्तन के डूबान एवं नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक/10794/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-फाफामार, प. ह. नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.76 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
11/1	0.83
281	0.02
280/2	0.14
11/2	0.48
18/1	0.34
102/12	0.13
104	0.21
105/2	0.17
106/1	0.97
148/9	0.21
107/1	0.19
108	0.25
109	0.90
114/2	0.40
137	0.30
119/1	0.03
119/2	0.40
136/1	0.05
136/5	0.05
136/8	0.13
136/9	0.16
136/12	0.13
136/10	0.18
136/11	0.02
126/1	0.12
126/2	0.15
127/1	0.26
128/1	0.35
128/2	0.14
128/5	0.42
128/6	0.05
128/7	0.14
309/1	0.08
309/2	0.08
312	0.08
313	0.20

(1)	(2)
317	0.05
318/1	0.15
318/2	0.12
319	0.12
324	0.13
565/3	0.14
323/1	0.02
326	0.08
327/2	0.15
327/6	0.09
328/8	0.07
329/3	0.48
334/1	0.37
334/2	0.41
335/1	0.28
335/2	0.28
448/2	0.05
445/3	0.22
439/5	0.14
439/1	0.19
444/1	0.21
444/2	0.21
442/2	0.05
442/3	0.33
441/1	0.58
434/3	0.10
440/4	0.23
440/2	0.14
435/2	0.30
553	0.03
565/1	0.18
566/1	0.10
योग 68	14.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मासूल व्यपवर्तन के मुख्य नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक/10795/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समा`ान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-राजनांदगांव
  (ख) तहसील-छुरिया
  (ग) नगर/ग्राम-आयबांधा, प. ह. नं. 40
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	235/2	0.085
योग	1	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/06/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-देवड़ा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50/2	0.07
50/3	0.17
63	0.04
50/21	0.13
52	0.19
57	0.22
50/29	0.14
74	0.12
75	0.13
76	0.19
77/1	0.15
78/1	0.05
50/51	0.30
50/16, 205/2	0.09
50/16, 205/3	0.09
50/16, 205/4	0.08
50/16, 205/5	0.08
50/13 ग	0.09
50/5, 204	0.20
321/5	0.03
321/4 ख	0.18
321/2	0.10
328/1	0.30
33/1	0.28
333/2	0.16
334/1	0.15
334/2	0.08
336/1	0.07
337/1	0.15
337/3	0.10
336/3	0.01
339/6	0.16
338/2	0.12
338/3	0.02
339/2 क	0.12
340	0.06
341/5	0.17
341/6	0.02
50/17	0.07
50/7, 8, 96/1	0.07
50/7, 8, 96/1, 2	0.07
50/60, 61, 96/2	0.19
50/10	0.10
50/11, 168/3	0.11
343/1 क	0.12
143	0.18
142/1	0.24
343/1 ख	0.01
142/4	0.04
321/1	0.07
योग 50	6.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत भानपुरी माइनर नहर क्रमांक-01, भानपुरी माइनर नहर क्रमांक-02, भानपुरी सब माइनर नहर एवं माइनर नहर क्रमांक-03 के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/7/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-भानपुरी, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.442 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
421	0.016
417	0.072
416	0.120
415	0.200
412/3	0.104
412/4	0.088
408	0.240
407	0.012
409	0.136
401	0.068
400	0.156
946	0.448
653/2	0.140
669	0.056
658	0.200
659	0.140
660	0.220
663	0.200
929	0.272
930	0.176
931/1	0.112
931/2	0.112
984	0.408
1016/2	0.340
1016/1	0.208
1055	0.060
1057/2	0.160
929	0.228
932/1	0.184
932/2	0.021
933/1	0.080
933/2	0.230
934	0.132
935	0.024
940	0.200
937	0.060
964	0.208
936	0.008
941	0.200
938	0.020
939	0.104
967	0.176
966	0.060
973	0.360
898	0.028

(1)	(2)
901	0.120
900	0.116
9.3	0.192
902	0.020
922	0.120
1014/5	0.020
1013	0.140
1049	0.010
1012	0.064
1011	0.064
1010	0.064
1051	0.096
1052	0.060
1056	0.028
921	0.128
912	0.064
919	0.148
918	0.424
1001	0.140
1002	0.068
1003	0.048
1006	0.104
1007	0.226
योग 68	9.442

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत भानपुरी माइनर क्रमांक-01, भानपुरी माइनर क्रमांक-02, भानपुरी सब माइनर एवं माइनर नहर क्रमांक-03 के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/8/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-बस्तर

(ग) नगर/ग्राम-बाकेल, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.69 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	301	0.22
	324/2	0.15
	339	0.20
	338	0.06
	337	0.06
	336	0.04
	335	0.03
	841	0.15
	839/1	0.34
	847	0.12
	837/1	0.19
	349	0.17
	351/2	0.04
	351/1 क, 352/1 ख	0.20
	353	0.03
	352/2	0.20
	827	0.40
	828	0.06
	829/1	0.03
योग	19	2.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाकेल माइनर नहर क्रमांक 01 एवं बाकेल सब माइनर नहर क्रमांक 02 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/9/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-बस्तर

(ग) नगर/ग्राम-बाकेल, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.112 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	390	0.067
	388	0.045
योग	2	0.112

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाकेल माइनर नहर क्रमांक 02 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/10/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-बस्तर

(ग) नगर/ग्राम-बेसोली, प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.002 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
233	0.052
234	0.192
242	0.128
237	0.110
238	0.176
240	0.038
239	0.136
248	0.170
योग 8	1.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत भानपुरी माइनर नहर क्रमांक 03 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम अधिकारी सह. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

चाम्पा, दिनांक 22 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/603/A/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिर्रा, ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी,

अनुविभागीयं अधिकारी (राजस्व) चांपा, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3841	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3842/3	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3840	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3839	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3843	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3798/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3838	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3837	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3836	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3808	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3810/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3811/3	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3812/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3812/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3815/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3816	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3817	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3818	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3819	0.03
			योग	**1.23**

चाम्पा, दिनांक 22 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/604/A/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिलादेही, ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चांपा, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	932	0.21
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	933	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	930	0.13
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	927	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	926/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	919/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	919/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	921	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	920/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	920/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	916/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	916/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	915/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	914	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	913	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	894	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	905/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	905/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	895/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	895/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	891	0.35
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	897	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	899/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	898	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	900	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1101/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1101/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1100/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1100/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1103	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1104	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1170/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1168/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1166	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1165	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1164	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1163/1	0.07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1163/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1162/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1162/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1161/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1161/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1159	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1158/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1158/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1158/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1158/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1158/5	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1201	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1157/1, 1157/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1154	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1155/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1155/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1155/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1155/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1155/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1228	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1231	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1232/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1231/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1232/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1233/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1233/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1236/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1236/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1239	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1248	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1267/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1267/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2570/8	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2434/1 क	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2439	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2433/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2433/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2433/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2442	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2443/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2443/2	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2445/3	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2446/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2446/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2447/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2447/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2447/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2449/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2448	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2427	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2426	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2425	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2424	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2423	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2422/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2422/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2421/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2421/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	2421/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1237/3	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1110/2	0.13
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलादेही/23	1232/1	0.08
			योग	**5.29**

चाम्पा, दिनांक 22 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/605/A/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि देवरहा, ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चांपा, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	536	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	537	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	530	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	529	0.13
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	528	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	287/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	289/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	289/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	288	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	284	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	283	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	282	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/7	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/6	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	263	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	264	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	261	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	316/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	254	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	260	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	252/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	317	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	251	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	250	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	335/4	0.13
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	340	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	335/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	335/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	343	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	344/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	345	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	346/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	346/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	346/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	346/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	347	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	78	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	70	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	71	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	64/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	64/4	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	66/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	66/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	28	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	32/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	32/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	15/1	0.16
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	15/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	15/7	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	14	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	13/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	13/5	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	13/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	12/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	12/2	0.03
			योग	**3.14**

चाम्पा, दिनांक 22 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/606/A/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि देवरानी ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चांपा, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1274/2	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1273	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1272, 1217/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1216	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1215	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1214	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1213/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1213/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1149/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1147/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1147/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1146/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1146/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1150/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1151/1, 1151/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1145	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1152	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	153/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	153/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	153/3	0.19
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	153/4	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	127/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	127/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	148/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	128/4	0.18
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	128/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	91/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	91/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	79	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	78	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	77	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	74	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	76/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	76/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	75	0.18
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	96/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	96/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	2/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	99	0.07
			योग	**2.55**

एस. के. गुप्ता,
सक्षम अधिकारी.

कार्यालय, सक्षम अधिकारी सह. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

पामगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/2023/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि शुकुलपारा ग्राम बसन्तपुर तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	605	0.33
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	603	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	604	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	614	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	615/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	616/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	622	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	621	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2850/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	370	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	371	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	374/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	374/5	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	374/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	392/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	390/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	390/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	384	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	385/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	348	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	383	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	349	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	350/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	350/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	350/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	338	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	351	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	282/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	282/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	283/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	284	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	285/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	256	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	291	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	295/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	295/2	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	295/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	295/5	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1326	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1327	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1488/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1486	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1489/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1489/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1489/3, 1489/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1490	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1492	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1497	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1498	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1589	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1590	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1600	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1600/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1604/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1604/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1604/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1605	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1621	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1620/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1620/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1624/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1624/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1627/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1627/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1626/1	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1626/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1630	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1458	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1460	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1462	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1226/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1228	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1216	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1214	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1212/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1215	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1213	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1230/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1230/2	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1502	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1491	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1504	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1503/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1503/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1505	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1575/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1575/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1575/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1513	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1516	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1574	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1553/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1553/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1552	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1551	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1550	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1556	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1549	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1758	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1759	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1760	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1768	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1769	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1770	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1773/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1773/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1777/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1777/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1798	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1793		0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1794		0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1795		0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2731		0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2730		0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2729		0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2769		0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2768		0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2771		0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2774/1		0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2775		0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2776		0.26
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2785/1		0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2787/1		0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2787/2		0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2787/3		0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2798		0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2801		0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2811/1, 2811/3		0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2811/2		0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2811/4		0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2810/3		0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2810/6		0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2840/1		0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2840/2		0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2840/3		0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2840/4		0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2840/5		0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2839		0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2841		0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2830		0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2844/2		0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2844/3		0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2845		0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2846/3		0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1514		0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1515		0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1506		0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2860		0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	352		0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	339/1		0.01
				योग	**9.44**

पामगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/2023/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि देवरी ग्राम बसन्तपुर तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	2/3	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	2/2	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	10/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	11	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	12/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	12/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	13/4	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	18	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	19/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	17	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	16/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	16/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	37/3, 37/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	37/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	40/2	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	40/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	42	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	43/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	45	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	44/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	44/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	44/3	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	43/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	88	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	95	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	92/4	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	92/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	140/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	141/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	140/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	140/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	139/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	139/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	143/3	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	143/2, 143/4	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	151/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	152/2	0.26
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	152/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	162/1	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	163/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	164/4	0.24
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	164/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	164/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	164/9	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	164/8	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	164/10, 164/11	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	164/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरी/20	89	0.01
			योग	3.95

पामगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/2023/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लोहर्सी ग्राम बसन्तपुर तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1396/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1385/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1396/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1385/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1385/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1398	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1378/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1378/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1379	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1380/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1450	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1451	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1452	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1454/1	0.002
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1454/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1459	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1458	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1455	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1460	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1470/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1470/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1473/4	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1473/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1473/6	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1477	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1476	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1473/7	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1473/8	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1206	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1207/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1205/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1208/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1208/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1148	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1149	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1118/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1118/2, 1118/3	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1106/1	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1106/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1106/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1108	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1107	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1091	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1089	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1087	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1088	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1076	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1078	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1079	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1077/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1080/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1077/3	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	987	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	429	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	431	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	433/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	433/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	391	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	341	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	342	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	330	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	329	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	304	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	453	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	454	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	463/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	463/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	471	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	481	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	472	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	480	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	479	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	478	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	475/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	477	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	476/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	476/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	157/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	157/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	201	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	160	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	161/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	161/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	164	0.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	165	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	168	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	169/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	169/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	152	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	154/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	172	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	146	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	147	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	144/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	144/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1397	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1377	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1473/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1077/2	0.08
			योग	5.91

पामगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/2023/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि धरदेई ग्राम बसन्तपुर तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1000	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	999	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1002/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1002/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	997/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1003/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1003/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1004/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1022/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1022/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1023/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1023/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/5	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/6	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/7	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/8	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1025	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	937	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	935/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	935/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	929/1	0.28
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	929/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	928/4	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	928/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	928/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	879/2	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	882/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	881/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	881/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	882/1	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	883/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	883/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	883/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	883/6	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	883/7	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	884	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	885/1	0.28
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	885/4	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	885/5	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/6	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/7	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/9	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	886	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/6	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/8	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/9	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/10	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/11	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/12	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/38	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/39	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/40	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	665/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	665/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	664/1	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	884/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	884/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	884/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	664/5	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	624/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/5	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/6	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/8	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/9	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/11	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/13	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/5	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/6	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/7	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/9	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	980/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	938/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	938/2	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1025/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	936/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	936/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	929/4	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	929/6	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	928/7	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	666/1	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	666/2	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	634/1	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	634/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	634/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	634/4	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	634/5	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	628	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	533/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	533/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	532/1	0.33
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	532/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	528	0.16
			योग	**6.49**

पामगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/2023/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राहौद ग्राम बसन्तपुर तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	692/1	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	692/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2790	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	689/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	691	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	685	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	689/2	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	690	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	689/1 क	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	680/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2822/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2823	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2824	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2820	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2812/1 क	0.24
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	500	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	499/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	501	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	503	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	504	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	505	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	506	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	492	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	495/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	480/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	480/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	481	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	483	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	484	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	460	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	536/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	536/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	452	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	453/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	451/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	453/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	482	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	423/1 ग	0.28
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	423/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	421/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	421/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	412	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	413	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	403/1	0.24
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	400	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	401, 402/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	388	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	389/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	389/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	358	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	359	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	341	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	342	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	344/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	333/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	333/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	334/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	336/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	326/1	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	326/4	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1430/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1430/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1431/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1431/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1442/3	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1466/3	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1467/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1470/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1470/1 क	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1470/1 ख	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1470/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1444/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1445/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1466/2	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1442/2 ख	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1441	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1440	1.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	455/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2828/1 क	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2828/1 ख	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2829	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2812/2 क, 2812/2 ख	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2786	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2787/1 क	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2787/1 ख	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2787/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2787/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2777	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2788/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2788/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2796/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	681/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	679/1 क	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	679/1 ख	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	461	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	455/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	455/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	456/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	456/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	390	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	345	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	343	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	333/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	335	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1434/3 क	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1434/3 ख	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1434/3 ग	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1434/1 क	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1434/1 ख	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1434/1 ग	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1434/1 घ	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1435	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1437	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1439/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1446/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1446/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1446/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1446/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1446/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1446/6	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1471	0.30
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1466/1 क	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1466/1 ख, 1466/1 ग	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1465	0.01
			योग	**9.35**

पामगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/2023/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मेहंदी ग्राम बसन्तपुर तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	353/12	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	353/9	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	353/10	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	352/12	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	351/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	352/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	352/14	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	348/9	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	348/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	348/6	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	349/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	349/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	349/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	349/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	349/7	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	342/1	0.56
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	342/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	342/3	0.42
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	342/4	0.28
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	341	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	340/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	221/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	221/13	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	221/1	0.29
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	221/8	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	211/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	211/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	211/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	209/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	207/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	188/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	187/1	0.42
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	187/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	163/1	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	163/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	138	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	139	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	137/2	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	137/3	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	353/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	353/4	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	351/1	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	351/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	348/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	348/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	348/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	348/7	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	343/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	221/2	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	212	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	210/1, 210/2, 210/3, 210/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	209	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	205	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	160/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	160/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	140/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	140/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	136	0.01
			योग	4.84

पामगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/2023/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मेऊ ग्राम बसन्तपुर तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	738	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	770/1	0.64
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	771/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	772/1	0.24
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	772/4	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	772/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	773/1	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	773/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	773/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	775	0.29
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	780/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/3	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/6	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	727/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	727/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	727/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/6	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	723/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	723/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	720	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	719/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	719/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	716/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	716/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	716/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	714/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	841/1	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	845/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	845/2	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	845/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	845/4	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	846/3	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	846/16	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	846/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	846/12	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	846/17	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	848/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	848/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	848/3	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	770/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	770/3	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	770/4	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	770/5	0.24
			योग	4.77

पामगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/2023/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि डोंगाकोहरौद ग्राम बसन्तपुर तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2244	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2243	0.30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2248/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2249/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2240/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2240/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2241	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2242	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2234	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2235/1	0.56
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2235/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2236	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2237/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2237/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2200	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2199/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2199/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2195/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2193/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2194	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2206/2	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2207/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2210	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2211	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2214	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2215	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2216	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2174	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1826	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1828	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1839/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1839/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1840/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1840/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1841/1	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1795/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1798	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1796/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1497/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1792/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1793	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1794	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1787	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1865/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1865/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1866/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1867	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1868	0.08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1870	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1882/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1883	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	[illegible]	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1879/1, 1879/2	0.32
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1880/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1881/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1878/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1878/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1891/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1891/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1891/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1679/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1679/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1679/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1682/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1683/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1684/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1684/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1684/4	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1687/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1688/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	2220/1, 2220/3, 2220/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1823/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1792/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/09	1786	0.03
			योग	5.15

पामगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/2023/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झुलन ग्राम बसन्तपुर तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	257	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	258/1	0.23
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	263/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	263/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	269/1	0.42
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	269/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/12	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/10	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/13	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/115	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/31	0.37
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/84, 301/83	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/26	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/29	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	303/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	303/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/20	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/19	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/46	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	306/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	308	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	309/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	105/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	105/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	103/1, 103/2	0.30
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	98/7	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	98/5	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	97/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	97/3	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	97/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	97/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	92	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	94	0.31
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झुलन/03	301/6	0.14
			योग	4.70

पामगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/2023/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चंडीपारा ग्राम बसन्तपुर तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1297	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1256/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1256/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1254	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1155/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1155/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1153	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1151/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1152	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1151/1	0.35
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1157/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1157/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1157/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1161/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1162	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1163/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1163/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1151/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1167/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1167/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1146	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1145/1	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1145/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1144	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1137/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1137/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1137/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1137/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1138/5	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1138/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1138/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1138/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	221/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	222/1, 222/2	0.30
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	225	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	223	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	224/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	226/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	226/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	209/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	209/3	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	209/4	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	209/6	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	188/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	194	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	193	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	180/8	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	180/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	179	0.52
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	177	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	166/5	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	167/6	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	167/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	168/2	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	168/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	360/1	0.24
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	359	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	358/1	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	358/9	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	167/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	167/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	167/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	167/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	167/7	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	167/8	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1135/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	1136/1, 1136/2, 1136/3	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	210		0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	178/5		0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	164		0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चंडीपारा/03	165/2		0.06
				योग	5.48

पामगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/2023/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पामगढ़ ग्राम बसन्तपुर तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/6	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/7	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/8	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/9	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/10	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/11	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/12	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	278/13	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/6	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/7	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/8	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/9	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/10	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/11	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/12	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/13	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/14	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	277/15	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	276	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	275/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	275/2, 275/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	275/4, 275/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	275/6	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	136	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	135/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	135/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	135/3, 135/5	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	135/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	135/6	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	135/7, 135/8, 135/9, 135/10, 135/11	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	135/12	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	135/13	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	134/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/03	134/2	0.01
			योग	**1.32**

पामगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/2023/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि रोझनडीह ग्राम बसन्तपुर तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर

कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित हैं, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/03	120/2	0.27
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/03	102/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/03	102/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/03	101/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/03	101/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/03	98	0.07
			योग	0.60

पामगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/2023/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चेऊडीह ग्राम बसन्तपुर तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	125/1	0.28
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	125/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	119	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	118	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	117/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	117/2	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	116/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	112/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	111/1	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	111/3	0.29
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	109/3	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	109/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	109/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	107	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	106/3	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	106/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	105	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	103/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	103/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	101	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	100/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	99/1	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	99/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	98/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	98/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	87/1	0.25
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	87/2	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	77/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	77/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	72/6	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	73/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	73/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	71/1	0.24
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	71/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	64/3	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	63/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	63/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	63/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	63/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	63/5	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	62/11, 62/12, 62/13, 62/14	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	51/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	51/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	49/3	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	48	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	38/1	0.26
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	39/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	38/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	36/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	36/2	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	34/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	34/3	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	34/4	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	35/8, 32/5	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	32/6	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	104/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	104/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	100/4	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	100/5	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	100/6	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/5	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/6	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/7	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/8	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊडीह/13	50/9	0.01
			योग	5.90

पामगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/2023/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भड़ेरियापारा ग्राम बसन्तपुर तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	689/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	688	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	692	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	687	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	693	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	694	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	686	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	685	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	695	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	503	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	502	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	500	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	506/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	506/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	480	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	479	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	426	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	427, 466	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	468	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	467	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	459	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	460	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	462	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	461	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	453	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	454	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	452	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	450/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	450/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	451/1, 451/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	139/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	88/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	140/1, 140/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	86	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	83	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	52, 80, 81, 82, 84	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	43	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	54/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	42/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	42/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	41/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	41/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	29	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	19/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/2	30	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	18/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	15/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	15/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	16	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	469	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	464	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	14	0.01
			योग	2.41

पामगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/2023/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जरहापारा ग्राम बसन्तपुर तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	जरहापारा/21	28/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	जरहापारा/21	28/5	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	जरहापारा/21	29/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	जरहापारा/21	29/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	जरहापारा/21	29/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	जरहापारा/21	30/2	0.02
			योग	**0.26**

चंद्रकांता ध्रुव,
सक्षम अधिकारी.

कार्यालय, सक्षम अधिकारी सह. अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/5458/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि देवरीसंगम ग्राम बसन्तपुर तहसील नवागढ़ जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है; उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/23	71/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/24	71/3	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम//25	70/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/26	22/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/27	69/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/28	68	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/29	67	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/30	66/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/31	72/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/32	23/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/33	65/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/34	39	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/35	40	0.45
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/37	37/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/38	37/4	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/40	34/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/41	34/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/42	34/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/43	34/6	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/44	35	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/44	34/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरीसंगम/44	34/7	0.03
			योग	1.82

जांजगीर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/5460/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि केरा ग्राम बसन्तपुर तहसील नवागढ़ जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने

के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2155/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2155/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2155/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2155/5	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2144	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2145	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2148/1 क	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2148/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2148/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2149	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2150/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2150/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2151	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2152/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2152/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2152/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1907/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1907/2 क	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1907/2 ख	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1907/2 ग	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1907/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1908	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1909	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1900	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1899/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1896/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1896/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1895/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1895/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1892	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1889	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1890	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1894	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1891	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1887	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1881	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1878	0.19
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1879/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1879/2	0.18
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1875/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1875/1	0.18
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1875/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1876/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1876/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1844/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1844/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1844/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1844/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1835	0.19
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1834	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1794/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1786/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1786/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1786/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1784	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1785	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1829	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1783/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1783/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1572/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1572/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1578	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1579	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1522/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1522/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1522/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1524/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1524/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1519/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1422/9	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1422/10	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1416/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1416/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1417/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1412/2	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1015/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1015/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1009/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1011/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1016, 1018/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1011/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1010/2	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1022/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1022/3	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1023/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1023/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	994/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	997	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	999	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1000	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	995/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	995/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	949/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	950	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	952/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	954/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	940/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	940/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	938/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	939/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	935	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	937	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	936	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	938/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	960/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1898/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1893/1, 1893/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1585/1 क, 1585/2 क	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1585/2 ख	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1580	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1581	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1583/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1583/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1521/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1001/5	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	994/1, 1026/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1026/2, 1026/7	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	952/2	0.08
			योग	**5.93**

जांजगीर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/5462/[illegible]/अ.अ./20[illegible].--[illegible] सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नगारीडीह ग्राम बसन्तपुर तहसील नवागढ़ जिला जांजगीर-[illegible]म्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर

कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1023	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1025/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1025/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1025/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1000/7	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1000/8	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	999	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	997	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	998	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	995/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	995/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	996/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	993	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1045/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1045/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1635	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1636/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1636/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1634	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1631/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1631/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1632	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1633/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1607/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1624/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1624/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1621	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1618	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1619	0.07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1615	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1591	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1592	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1572	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1573	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1574/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1522/8	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1522/4	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1522/5	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1522/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1575	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1521	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1519	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1517	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1518	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1527	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1528	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1168	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1167/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1167/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1166	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1165	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1164/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1164/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1163	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1156	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1155	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1154	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1151	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1152	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1153/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1199	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1200/5	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1200/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1200/6	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1201/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1200/3	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1452	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1439/2, 1440/1, 1440/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1441	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1250/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1250/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1247/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1253/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1253/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1255	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1254	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1317	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1257	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1258	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1256/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1259	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1262	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1026/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1026/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1027	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1249	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1251/1	0.06
			योग	**3.91**

जांजगीर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/5464/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मुड़पार ग्राम बसन्तपुर तहसील नवागढ़ जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1849	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1843	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1842	0.13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1837	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1839	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1838	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1822/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1823	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1824	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1826	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1799/1, 1799/2	0.19
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1799/4	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1796/1, 1798	0.24
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1795	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1794	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1790/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1790/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1789	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1768	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1769	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1770	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1771	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1749/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1749/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1749/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1749/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1731	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1730	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1728	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1727	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1726	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1707	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1708	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1691	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1692/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1692/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1692/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1670	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1671	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1480/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1462/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1480	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1482	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1489	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1452	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1487	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1830/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1830/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1828	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1788	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1672/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1672/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1667/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1667/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1669	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1483/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1483/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1491	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1490	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1467	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1284	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1283	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1451	0.05
			योग	**4.28**

जांजगीर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/5466/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कनस्दा ग्राम बसन्तपुर तहसील नवागढ़ जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	566/6	0.09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	568/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	568/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	569	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	570	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	559/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	554, 552	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	555	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	550	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	549	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	610/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	610/2	0.19
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	610/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	611/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	546/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	612/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	614	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	611/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	619/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	622/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	629/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	629/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	634/1	0.28
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	635/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	648/1	0.30
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	648/3	0.16
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	649/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	578/1, 578/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	572	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	559/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	556/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	560/3, 560/4	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	618	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	622/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	633/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	628/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	636	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	640	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	645/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनस्दा/22	645/2	0.08
			योग	**3.25**

जांजगीर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/5468/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि दुरपा ग्राम बसन्तपुर तहसील नवागढ़ जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1946/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1946/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1946/3	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1946/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1946/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1944	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1945/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1945/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1945/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1941/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1941/4	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1943/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1939	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1940/1	0.21
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1940/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1940/3	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1728/4	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1728/3	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1725/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1727	0.42
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1726/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1724	0.11

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1723/2		0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1723/1		0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1722/3		0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1720		0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1721/1		0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1718/2		0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1718/3		0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1716		0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1717/1		0.28
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1717/2		0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1718/1		0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1715		0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1714		0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1713/1		0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1708		0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1709		0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1710		0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1707/3		0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1707/4		0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1707/2		0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1706		0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1711		0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1725/2		0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1719/2		0.07
				योग	**4.05**

जांजगीर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/5470/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तुस्मा ग्राम बसन्तपुर तहसील नवागढ़ जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2334/36	0.47
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2334/41	0.17
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2334/35	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2334/34	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2329/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2331	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2322	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2335/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2377	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2376/8	0.33
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2585/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2585/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2585/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2585/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2585/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 c	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 d	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 e	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 f	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 g	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 h	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 i	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 j	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 k	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 l	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 m	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 n	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 o	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 p	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 q	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	813	0.20
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/3	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/4 a	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/6	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/7 a	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/8 a	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/10	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/12	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/13	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/14	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/15	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/16	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/17	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/18	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/19	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/20	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/21	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/22	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	863	0.38
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	867/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	956	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	954/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	954/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	955/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	955/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	955/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	934	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	932/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	932/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	932/4	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	877/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	877/3	0.04
			योग	**4.28**

जांजगीर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/5472/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भोगहापारा ग्राम बसन्तपुर तहसील नवागढ़ जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	भोगहापारा/14	5/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	भोगहापारा/14	5/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	भोगहापारा/14	6/1 क	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	भोगहापारा/14	6/1 ख	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	भोगहापारा/14	6/1 ग	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	भोगहापारा/14	6/1 घ	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	भोगहापारा/14	6/9	0.03
			योग	0.23

जांजगीर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/5474/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महंतपारा ग्राम बसन्तपुर तहसील नवागढ़ जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	7	0.16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	36	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	8/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	44/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	44/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	44/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	37	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	45	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	41	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	43	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	42	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	47	0.35
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	132	0.24
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/6	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/7	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/8	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/9	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	115/10	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	115/11	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	115/15	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	116/14	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	115/24 क	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	115/24 ख	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	128	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	32	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	46	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	113	0.02
			योग	**2.05**

जांजगीर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/5476/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पकरिया ग्राम बसन्तपुर तहसील अकलतरा जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा:

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1340/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1333	0.03
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1332	0.21
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1331	0.13
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1330/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1329/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1328	0.03
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1310	0.43
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1311	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1308	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1355/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1360	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1307	0.15
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1304	0.16
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1303	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1302/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1302/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1302/4	0.05
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1301/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1301/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1300/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1300/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1300/9	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1300/10	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1300/12	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1291	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1290/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1290/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1240/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1241/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1241/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1242	0.05
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1243/1	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1241/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1276/1 ख	0.05
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1276/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1289	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1262/7	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1262/6	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1262/16	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1259/7	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1259/5	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1259/3	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1259/8	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1083/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1083/6	0.13
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1083/3	0.12
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1084/14	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1084/9	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1084/15	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1079/1	0.36
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1071	0.19
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1066/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1066/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1062/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1062/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1309	0.06
			योग	**5.03**

जांजगीर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/5478/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झीलमिला ग्राम बसन्तपुर तहसील अकलतरा जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	100/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	100/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	99/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	99/2	0.29
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	92	0.16
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	94	0.02
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	93/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	93/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	91/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	91/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	91/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	89	0.14
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	88/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	88/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	83/1	0.18
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	84/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	80/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	80/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	76/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	76/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	47	0.25
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	46	0.31
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	10/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	10/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	10/3	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	9/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	9/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	5/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	5/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	6	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	2/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	2/2	0.28
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झीलमिला/10	2/3	0.03
			योग	3.16

जांजगीर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/5480/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि [illegible] ग्राम [illegible] तहसील अकलतरा जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1604/1	0.70
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1681/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1681/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1682/4	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1682/5	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1683/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1683/2	0.16
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1683/3	0.11
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1684/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1684/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1684/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1684/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1684/5	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1684/6	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1684/7	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1689/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1690	0.14
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1692/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1692/4	0.17
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1692/5	0.14
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1692/6	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1713/1	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1713/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1713/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1715/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1710/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1710/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1710/3	0.09
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	1711	0.15
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	2667/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	2667/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	2668/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/09	2669	0.15
			योग	**2.91**

जांजगीर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/5482/प्र.-2/अं.अ./2010.—राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बनाहिल ग्राम बसन्तपुर तहसील अकलतरा जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स के. एस. के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	बनाहिल/09	223/1	0.23
			योग	**0.23**

एस. सी. श्रीवास्तव,
सक्षम अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 16th November 2010

No. 739/Confdl./2010/II-02-17/2002.—Regarding correction in the Provisional Gradation List of Judicial Officers published in the issue dated 06th October, 2010 of the Official Gazette (Extraordinary) No. 270 of the State of Chhattisgarh.

CORRIGENDUM

1. In the opening page of the gradation in column No. (6), page 540, the head of the column "Date of Appointment in N.S.S." should be "Date of Appointment in H.J.S." .

2. At Sl. No. 1, Page No. 540, under the Column No. (9), the entry in the remarks column is "Granted SGS w.e.f. 08-07-2009" whereas it should be "Granted SGS w.e.f. 08-07-2000".

3. At Sl. No. 2, Page No. 540, under the Column No. (2), the name is "Radhe Shyam Sharma" whereas it should be "Radheshyam Sharma" i. e. space should be suppressed between "Radhe" & "Shyam".

4. At Sl. No. 17, Page No. 540 (2), under the Column No. (9), the entry in the remarks column is "Granted SGS w.e.f. 06-03-2005" whereas it should be "Granted SGS w.e.f. 06-03-2006".

5. At Sl. No. 66, Page No. 540 (6), the entry under the Column (8) is "Sanjari-Bolod" whereas it should be "Sanjari-Balod".

6. At Sl. No. 83, Page No. 540 (8), the entry under the Column (8) is "Bilapur" whereas it should be "Bilaspur".

7. At Sl. No. 108, Page No. 540 (11), the entry in the Column (2) is "Phool Singh Penkra" whereas it should be "Phoolsingh Penkra".

8. At Sl. No. 16, Page No. 540 (13), the entry in the Column (2) is "Smt. Dhneshwari Sidar" whereas it should be "Smt. Dhaneshwari Sidar".

9. At Sl. No. 73, Page No. 540 (19), the entry under the Column (8) is "Rajnandgon" whereas it should be "Rajnandgaon".

10. At Sl. No. 79, Page No. 540 (19), the entry in the Column (2) is "Smt. Mamata Shukla" whereas it should be "Smt. Mamta Shukla".

11. At Sl. No. 86, Page No. 540 (20), the entry in the Column (2) is "PGCA" whereas it should be "PGDCA".

12. At Sl. No. 129, Page No. 540 (24), the entry in the remarks Column (9) is "Additional to the Court of" whereas it should be "Additional Judge to the Court of".

The LL.M. qualification of Shri K. L. Charyani could not be included in the qualification column of the gradation list, therefore, at Sl. No. 72, Page No. 540 (7) "LL.M." qualification should be added after the qualification "B.A., LL.B." of Shri K. L. Charyani.

A. K. SHRIVASTAVA,
Registrar General.